

## विचार बिन्दु

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। -हरिंशं राय बच्चन

# चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ़ेस- जितना बताया उससे कहीं अधिक छिपाया

हार में चल रहे एस आई आर यानी 'प्रेशल इंटर्विव रिवीजन' के संबंध में मानव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा की गई कि वह एक प्रेस कॉफ़ेस 17 अगस्त को 3:00 बजे करने तो पूरे देशवासी उसको से इसकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें आगा थी कि देशवासियों, विशेष कर बिहार वासियों के मन में जो भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न हो रही थीं, उनका समाधान इस प्रेस कॉफ़ेस के मायथ से हो जायगा। ऐसे कई प्रेस थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मानवीय न्यायालयों द्वारा भी सुनारे के दौरान पूछे गए थे। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग की एस आई आर से संवेच्च नियन्त्रण और कार्यक्रमों के बारे में अंतक्षणीय की जा रही थी। इस संबंध में 11 याचिकाएं संवेच्च न्यायालय में बाकर की गई थीं।

सबको इस प्रेस कॉफ़ेस से अत्यधिक निराशा हुई। इस निराशा का कारण यह है कि किसी भी प्रेस का मुख्य चुनाव आयुक्त जानेश कुमार ने स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। कुछ पत्रकारों द्वारा बड़े स्पष्ट सीधे प्रेस पूछे गए किंतु उनके उत्तर देने के बजाय उन्हें तकनीकी नियमों के मकड़ जाल में फँसा कर वही करते हुए करके आए थे। 83 मिनिट की प्रेस कॉफ़ेस के बाद भी लगातार सभी प्रेस लेस के बैंस खड़े हैं। यह बताया ही था कि जैसे परीक्षा में प्रेस कुछ भी पूछे जाएं किंतु उत्तर वही दिया जाता है जो विद्यार्थी रट कर आए होते हैं।

हम यह देखें का प्रयास करेंगे कि वे कौन से प्रेस हैं जिनका उत्तर प्रेस कॉफ़ेस के मायथ से प्राप्त होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सभंग है, विशेष योगीनीतिक दलों को ऐसी ही अंपेशा थी। इसीलए और राष्ट्रीय जनता ने देखा है कि वर्तमान में आपना कार्यक्रम नहीं बदला जा सकता। और उसे 17 अगस्त से नियन्त्रित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्तवाप्त कर दिया।

सबको पहला प्रेस जो अब तक भी उसी तरह बना हुआ है वह यह है कि 2003 की एस आई आर के समय चुनाव आयोग द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए थे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या उस समय सर्वोच्च गणना प्रप्त भवाने गए थे और उससे क्या दस्तावेज़ मार्गी गए थे? चुनाव आयोग द्वारा उस समय जो दिशा निर्देश की गई होगी, उसकी भावना को प्राप्त करने न तो चुनाव आयोग की बेबासी पर उपलब्ध है, न तो मानवीय संवेच्च न्यायालय में यह उपलब्ध कराई गई है। यह उल्लेखनीय है कि सुनार्ह के दीर्घन मानवीय न्यायालय ने भी पूछा था कि 2003 में चुनाव आयोग द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे? इसका कोई उत्तर न तो न्यायालय में दिया गया, न ही प्रेस कॉफ़ेस के दीर्घन दिया गया। वास्तविकता तो यह है कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, न ही एक भी उसी दिशा निर्देश मार्गी गया था। अतः जानेश कुमार का यह कहना कि एस आई आर अपर लेकर कई बार हो चुका है, कोई मायथ नहीं खट्टा।

इस प्रेस की उत्तर नहीं मिली कि चुनाव आयोग द्वारा इन 11 दस्तावेजों के आधार पर किसी को भावीतय कैसे मान लिया गया, जबकि आधार और वोटर आईडी कार्ड को मतदाता होने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है? क्या इसके लिए गृह मंत्रालय ने कोई अदेश जारी किया है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर किसी व्यक्तिको भावीतय कैसे दिया जाएगी? वास्तविकता यह है कि देश में रहे वाले व्यक्तिको कि बढ़ाव योग्य मात्र करनी होती है कि वह चुनाव आयोग की बेबासी पर उपलब्ध है, न तो मानवीय संवेच्च न्यायालय में यह उपलब्ध कराई गई है। यह उल्लेखनीय है कि सुनार्ह के दीर्घन मानवीय न्यायालय ने भी पूछा था कि 2003 में चुनाव आयोग द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे? इसका कोई उत्तर न तो न्यायालय में दिया गया, न ही प्रेस कॉफ़ेस के दीर्घन दिया गया। वास्तविकता तो यह है कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, न ही एक भी उसी दिशा निर्देश मार्गी गया था। अतः जानेश कुमार का यह कहना कि एस आई आर ने कोई बनाव रखे हैं, तो वह तक चाहे गए एस आई आर की बेबासी पर भी लागू हो सकती है।

क्या चुनाव आयोग वह गारंटी दे सकता है कि जिस व्यक्तिको नाम एस आई आर के बाद मतदाता सूची में आजाए, उसे भारत का नामिक मान लिया जाएगा? सरकार को भी स्पष्ट जाना होगा कि क्या जिस व्यक्तिको नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, उसे भारत का नामिक हुए उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भी जारी हो सभी व्यक्तियों से वंचित कर दिया जाएगा? राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वार्ताएं जारी होनी वाले दस्तावेज़ मार्गी गया था। अतः जानेश कुमार का यह कहना कि एस आई आर पर वार्ता दिया गया।

चुनाव आयोग ने एस आई आर का उद्देश्य मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करना बताया है। यदि किसी का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में अंकित हो तो वह भी उस मतदाता ने एक ही स्पान पर कर पाया।

यह प्रेस जी अनुरित ही रहा। 2025 को ने निर्देश, 2025 को जी जब 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का नियन्त्रण कर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दिया तो यह भी उस वार्ता के नाम एस आई आर के बाद मतदाता तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग नियन्त्रक ने जानेश कुमार को लाभ से वंचित कर दिया।

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि इस

प्रेस कॉफ़ेस के मायथ से मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की छवि को खराब करने का ही काम किया है। अब

तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई �आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही काम किया है। अब

अब तक तो लोग केवल चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने का संदेह ही कर रहे थे किंतु प्रेस कॉफ़ेस के बाद यह

विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग ने एक वार्ता के नाम एस आई आर के बाद यह

खराब करने का ही क